न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 11/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2023/32

उनवान

1. सुरेश चन्द } पिसरान श्री सोहनलाल जाति जाटव निवासीयान किशनपुर मौहल्ला कस्बा
2. पप्पू } डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
3. जगदीश }
4. हरीशचन्द } पुत्रान श्री मोती } जाति जाटव निवासीयान किशनपुर मैहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर।
5. महावीर }
6. अशर्फी वेवा श्री मोती
7. रानी पुत्री श्री मोती
8. वीरेन्द्र }
9. मयंक } पिसरान श्री बाबूलाल जाति जाटव निवासी किशनपुर मौहल्ला कस्बा डीग
10. प्रकाश } तहसील डीग।

.....अपीलांट।

बनाम

1. वासदेव पुत्र श्री मौहरपाल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग ।
2. तहसीलदार डीग।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दि0 14.07.2022 मि.नं. 262/10 उनवानी वासदेव बनाम बाबूलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक–22.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2002 के विरूद्ध पेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी रैस्पो0 के पिता मौहरपाल के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त वादी रैस्पो0 के साविक खसरा नम्बर 636/0–15, 644/1–3, 367/0.17 के बदले में नवीन खसरा नम्बर 676/0.11, 678/0.23 बनना दर्शाये गये हैं, जबकि उक्त साविक खसरान के बदले में नवीन खसरा नम्बर 677/0.08 व 678/961/0.02 भी निर्मित हुये हैं। हाल खसरा नम्बर 676/0.11 को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा पत्रक में वादी रैस्पो0 के साविक खसरा नम्बर 637/0.17, 636/0.11 मिन से बनना दर्शाया है, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के खिलाफ मौका व कब्जा हाल खसरा नम्बर 676 के राजस्व अभिलेख में वादी रैस्पो0 को हिस्सा 17/28 तथा प्रतिवादी अपीलाण्ट को हिस्सा 11/28 का गैर खातेदार काश्तकार का इन्द्राज कर दिया है। उक्त इन्द्राजो से वादी रैस्पो0 के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 676/0.11, 677/0.08 पर वादी को वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के नाम विवादित आराजी से विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 8 लगायत 10 के पिता श्री बाबूलाल का दिनांक 01.03.2020 को देहान्त हो गया था। परन्तु रैस्पो0 ने बाबूलाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया। अतः दावा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री होने से खारिज योग्य है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 11.12.2017 को डिक्री किया गया था जिसकी अपील रैस्पो0 द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जिसमें बाबूलाल के मृतको की तलवी की कार्यवाही चल रही है। ऐसी स्थिति में रैस्पो0 को पुनः इसी आराजी बाबत दावा दायर करने का अधिकार नहीं था और पूर्व में दावे के डिक्री होने के कारण रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण दावा बाधित था। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना कोई सूचना दिये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। यह है कि प्रकरण में धारा 42 का भी प्रभाव है। परन्तु अधीनस्थ न्यायाल ने उक्त तथ्य पर कतई गौर नहीं किया। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जबकि रैस्पो0 सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने बहस के स्तर पर सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एसीजे 2017(2) पेज 375 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप, तनकीवार तार्किक है। अधीनस्थ न्यायालय में तीन खसरा नम्बरो बाबत दावा प्रस्तुत हुआ एवं दो खसरा नम्बरो पर दावा खारिज किया एवं एक खसरा नम्बर पर दावा डिक्री हुआ। अपीलाण्ट का यह तर्क उचित नहीं है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलाण्ट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं एवं उनकी तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.06.2012 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अन्य पक्षकारो को नोटिस देने पर अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र दिया आदेश 9 नियम 7 का जो खारिज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का दावा सन् 2010 का है। दूसरे दावे से पहले का है एवं उसमें अपीलाण्ट का पक्षकार भी बनाया है। दौराने बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग की गलती से विवादित आराजी अपीलाण्ट के नाम आयी एवं अपीलाण्ट गैर खातेदार दर्ज हो गये। तथ्यो को छिपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय में सरकार के विरूद्ध दावा करते हुये, डिक्री करा लिया एवं रैस्पो0 को उक्त मुकदमें में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अपीलाण्ट ने जो दावा प्रस्तुत किया है उसमें विवादित आराजी उन्हें कहॉ से प्राप्त हुयी कही भी अंकित नहीं किया है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है। जहॉ तक अपीलाण्ट की यह आपत्ति की दावा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री हुआ है बाबत् रैस्पो0 के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में अन्य पक्षकार भी शामिल हैं तो एक पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके वारिसो को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने से दावा अवैट नहीं होता। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2013(1) का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं तनकी संख्या 01 में यह माना है कि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 676/0.11 पर वासुदेव पुत्र मौहरपाल कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार 17 विस्वा 17/28 बाबूलाल पुत्र जवाली 1/2 कल्लो वेवा बीधा, सोहनलाल, मोती पिसरान बीघा कौम जाटव साकिन किशनपुर हिस्सा बराबर 1/2 गैर खातेदार 16 विस्वा 11/28 राहिन वासुदेव एसबीआई शाखा डीग मुर्त रहन इन्तकाल नं 451 दर्ज रिकार्ड हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी रैस्पो0 के साथ प्रतिवादी अपीलाण्ट के नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे हैं। परन्तु वादी रैस्पो0 ने उन्हें प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर ध्यान ना देते हुये वादी रैस्पो0 का दावा आंशिक रूप से डिक्री किये जाने में कानूनी त्रुटि की है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे चले एक दावा अपीलाण्ट ने राज्य सरकार के विरूद्ध उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार प्रस्तुत करते हुये दिनांक 11.12.2017 को अपने पक्ष में आंशिक डिक्री कराया है एवं उक्त मुकदमे में रैस्पो0 को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। दूसरा दावा रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध उनवानी बासुदेव बनाम बाबूलाल दायर किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से अपने पक्ष में दिनांक 14.07.2022 को आंशिक डिक्री कराया है। दोनों ही वादो में विवादित आराजी समान है। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत् दो पृथक–पृथक निर्णय पारित होना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। एक ही विवादित भूमि व एक ही पक्षकारों के वीच दो परस्पर विरोधी दावों को कंसोलिडेट किया जाना वांछनीय रहता है, ताकि एक ही विवाद में दो परस्पर विरोधी निर्णय पारित ना हों। इसके अलवा दौराने वहस यह तथ्य भी सामने आया है कि डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुयी है, तो ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं रहते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2022 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में दोनों दावे क्रमश : 95/17 उनवानी वावूलाल बनाम सरकार एवं 262/10 उनवानी वासुदेव बनाम वावूलाल को कंसोलिडेट किया जाकर, पुनः उभयपक्ष को समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेपित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर